प्रेषक, **संख्या–884/पांच–5–2020**

अमित मोहन प्रसाद
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 मेडिकल सप्लाइज कार्पोरेशन,
लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–5 **लखनऊ; दिनांकः 17 अप्रैल, 2020**

विषयः कोविड–19 बीमारी का सामना करने हेतु तकनीकी विशिष्टतायुक्त आवश्यक चिकित्सा सामग्रियों की आपूर्ति के संबन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–ए–45013/4/2020/एचपीई (पीटी) दिनांक 16 अप्रैल, 2020 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा COVID–19 रोगी की चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाले आवश्यक उपकरणों के क्रय हेतु विस्तृत तकनीकी विशिष्टियों एवं आवश्यकताओं को निर्धारित किया है, जो एच0एल0एल0 लाइफ केयर लिमिटेड की वेबसाइट www.lifecarehll.com पर उपलब्ध हैं। इन विशिष्टियों को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित स्पेशिफिकेशन्स/सलाह और चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तकनीकी विशेषज्ञों व संबंधित मंत्रालयों की संस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप दिया गया तथा समस्त अनुमोदित पीपीई किट निर्माताओं को संबंधित परीक्षण एजेंसियों यथा SITRA, DRDEA OFs आदि द्वारा यूनिक स्पेशिफिकेशन कोड (UCC) निर्गत किया गया है।

2– चिकित्सा सामग्रियों की विशिष्टताओं से संबन्धित दिशा–निर्देशों के आलोक में आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्तित सामग्रियों की गुणवत्ता और विशिष्टताओं की जॉच अवश्य कराए एवं यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि COVID ICU वार्ड और अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहां COVID–19 पॉजिटिव रोगियों से चिकित्सक एवं अन्य सहयोगी स्टाफ संपर्क में हैं, वहां तकनीकी विशिष्टताओं वाली चिकित्सा सामग्रियों का उपयोग नितांत आवश्यक है। सीधे क्रय किए गए पी0पी0ई0 किट के लिए एक रैंडम नमूना प्रक्रिया का पालन करते हुए नामित प्रयोगशालाओं में समय–समय पर परीक्षण करवाएं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपूर्तित पीपीई किट न्यूनतम तकनीकी आवश्यकता/मानकों को पूरा करती है/निर्मित है।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गयी उक्त अपेक्षाओं एवं दिये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,
17.4.20
(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या–884(1)/पांच–5–2020 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0, लखनऊ।
2. निदेशक, संचारी रोग, उ0प्र0।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
17/04/2020
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

D.P GO/COME